

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ३७१] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर ७, १९७३/कार्तिक १६, १८९५

No. 371] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 7, 1973/KARTIKA 16, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th November 1973

S.O. 673(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the death of Shri Chandulal Chunilal Desai, a member elected to that House from 14-Sabarkantha Parliamentary Constituency in the State of Gujarat;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 14th December, 1973, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[N. 100/GJ-HP/3/72(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, ७ नवम्बर, १९७३

क्रि० प्रो० ६७३(अ).—यतः गुजरात राज्य में के १४-साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री चन्डूलाल देसाई की मृत्यु हो जाने से लोक सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

(1983)

अनः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 14 दिसम्बर, 1973 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/गुज०-लो०स०/3/72(1)]

S. O. 674(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 14-Sabarkantha parliamentary constituency in the State of Gujarat in pursuance of its notification No. 100/GJ-HP/3/72(1), dated the 7th November, 1973,—

- (a) the 14th November, 1973 (Wednesday) as the last date for making nominations;
- (b) the 15th November, 1973 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 17th November, 1973 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 9th December, 1973 (Sunday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 14th December, 1973 (Friday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/GJ-HP/3/72(2)]

क्र० आ० 674(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/गुज०-लो०स०/3/72(1), तारीख 7 नवम्बर, 1973 के अनुसरण में गुजरात राज्य में के 14-साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में—

- | | |
|--|--------------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख | 14 नवम्बर, 1973 (बुधवार), |
| (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख | 15 नवम्बर, 1973 (बृहस्पतिवार), |
| (ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख | 17 नवम्बर, 1973 (शनिवार), |
| (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा, तथा | 9 दिसम्बर, 1973 (रविवार) |
| (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा | 14 दिसम्बर, 1973 (शुक्रवार) |

एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/गुज०-लो०स०/3/72(2)]

S.O. 675(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 a.m. to 5.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary be taken for the bye-election to the House of the People from 14-Sabarkantha parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/GJ-HP/3/72(1), dated the 7th November, 1973.

[No. 100/GJ-HP/3/72(3)]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.
To the Election Commission of India.

का० अ० 675(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, अपनी अधिसूचना सं० 100/गुज०-लो० सं०/3/72(1), तारीख 7 नवम्बर, 1973 के अनुसरण में 14-साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 8-00 बजे पूर्वाह्न से 5-00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में गृहद्वारा निश्चित करना है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/गुज०-लो०-सं०/3/72 (3)]

आदेश से,

बी० नागमुन्नमण्यन, सचिव ।

